मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 28 /07/2021

क्र. एफ 16-55/2020/ए-ग्यारह::राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क, पीथमपुर, जिला धार में लगभग रु. 498.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से फार्मास्यूटिकल्स इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-

1. **पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - परियोजना स्थापना हेतु लीज पर प्राप्त भूमि के पट्टाभिलेख के पंजीयन पर चुकाये गये पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा इकाई को की जाये।
2. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - निवेश प्रोत्साहन सहायता उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2020) में निहित प्रावधान अनुसार शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाये।
3. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 05 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
4. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तो के अध्याधीन प्राप्त होगी।
5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
6. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ 16-55/2020/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 28 /07/2021

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
6. कलेक्टर, जिला धार।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, Unit No SB-901 & 902, Empire Tower Gut No. 31, Cloud City Campus, Airoli, Navi Mumbai Thane - 400708।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग